

CONFIDENTIAL

For office use only



GOVERNMENT OF HARYANA

**RULES OF BUSINESS
OF THE
GOVERNMENT OF HARYANA, 1977**

हरियाणा सरकार
कार्य संचालन नियम, 1977

(As amended upto 13th October, 2006)

RULES OF BUSINESS

OF THE

GOVERNMENT OF HARYANA, 1977

As amended upto 13th October, 2006 vide following Notifications :-

Sr. No.	Notification No.	Dated
1.	1572-Cabinet-78	13-11-1978
2.	980-Cabinet-80	25-07-1980
3.	64-Cabinet-82	14-01-1982
4.	4/1-Cabinet-83	18-03-1983
5.	10/4/2-Cabinet-97	12-05-1999
6.	10/3-2-Cabinet-2000	19-06-2000
7.	10/13-2-Cabinet-2000	25-09-2000
8.	10/4-2-Cabinet-98	04-09-2001
9.	10/1/2006-2-Cabinet	14-03-2006
10.	7/2/2005-2 Cabinet	13-10-2006

CONFIDENTIAL

For official use only

GENERAL ADMINISTRATION**CABINET****ORDER****Dated, Chandigarh, the 21st June, 1977**

No. 336-Cabinet-77.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India and all other powers enabling me in this behalf, I, Jaisukhlal Hathi, Governor of Haryana, hereby make the following rules in supersession of the existing rules :—

1. These rules may be called the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977, and shall come into force at once.
2. In these rules unless the context otherwise requires :—
 - (a) "Article" means an Article of the Constitution of India;
 - (b) "Council" means Council of Ministers constituted under Article 163;
 - (c) "Department" means a department specified in the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974;
 - (d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
 - (e) "Secretary" means a Secretary to the Government of the State of Haryana.

3. The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Central Act.

Part-I—Disposal of Business

4. The Council shall be collectively responsible for all executive orders issued in the name of the Governor in accordance with these rules whether such orders are authorised by an individual Minister on a matter pertaining to his portfolio or as a result of discussion at a meeting of the Council or howsoever otherwise.

5. Subject to the orders of the Chief Minister under rule 11, all cases referred to in the Schedule shall be brought before the Council in accordance with provisions of the rules contained in Part II :

Provided that no case in regard to which the Finance Department is required to be consulted under rule 7 shall save in exceptional circumstances and under the directions of the Chief Minister be discussed by the Council unless the Finance Minister has had an opportunity for its consideration.

6. Without prejudice to the provisions of rule 4, the Minister-in-Charge of a Department shall be primarily responsible for the disposal of the business pertaining to that Department:

Provided that representations against adverse remarks recorded in the Confidential Roll of a member of All India Services by a Minister shall be considered by the Cabinet Sub-Committee consisting of the Chief Minister, the Home Minister and the Finance Minister. The Sub-Committee will co-opt. the Minister, if he happens to be other than the Chief Minister, Home Minister and the Finance Minister, against whose remarks the representation is made. The said Sub-Committee shall exercise the powers of Government in such cases.

7. (1) No Department shall without previous consultation with the Finance Department, authorise any orders (other than orders pursuant to any general delegation made by the Finance Department) which:--

- (a) either immediately or by their repercussion will affect the finances of the State or which, in particular-
 - (i) involve any grant of land or assignment of revenue or concession, grant lease or licence of mineral or forest rights or a right to water power or any easement or privilege in respect of such concession; or
 - (ii) in any way involve any relinquishment of revenue; or
- (b) relate to the number or grading or cadre of posts or the emoluments or other conditions of service or posts.

(2) No proposal which requires the previous consultation of the Finance Department under this rule, but in which the Finance Department has not concurred, may be proceeded with unless a decision to that effect has been taken by the Council.

(3) No reappropriation shall be made by any Department other than the Finance Department, except in accordance with such general delegation as the Finance Department may have made.

(4) Except to the extent that power may have been delegated to the Departments under rules approved by the Finance Department, every order of an administrative department conveying a sanction to be enforced in audit shall be communicated to the audit authorities by the Finance Department.

(5) Nothing in this rule shall be construed as authorising any department, including the Finance Department, to make re-appropriation from one grant specified in the Appropriation Act to another such grant.

8. All orders or instruments made or executed by or on behalf of the Government of the State of Haryana shall be expressed to be made or executed in the name of the Governor.

9. (i) Every order or instrument of the Governor of the State of Haryana shall be signed either by a Secretary, an Additional Secretary, a Joint Secretary, a Deputy Secretary, an Under Secretary or an Assistant Secretary or such other officer as may be specially empowered by the Governor in that behalf and such signature shall be deemed to be the proper authentication of such order or instrument.

(ii) A Minister shall, while on tour, be competent:—

- (a) to give orders relating to his own department to local officers. These orders shall be in writing and written information regarding them shall be sent to the Administrative Secretary concerned; and
- (b) in respect of departments not under him, on receipt of a petition or a representation, to ask a local officer, to enquire into it and to submit a report about it to his superior officers.

Part II—Procedure of the Council

10. The Chief Secretary or such other officer as the Chief Minister may appoint, shall be the Secretary to the Council.

11. All cases referred to in the Schedule shall be submitted to the Chief Minister after consideration by the Minister-in-charge with a view to obtaining his orders for circulation of the case under rule 12 or for bringing it up for consideration at a meeting of the Council.

12. (1) The Chief Minister may direct that any case referred to in the Schedule may instead of being brought up for discussion at a meeting of the Council be circulated to the Ministers for opinion, and if all the Ministers are unanimous and the Chief Minister thinks that a discussion at a meeting of the Council is unnecessary, the case shall be decided without such discussion. If the Ministers are not unanimous or if the Chief Minister thinks that a discussion at a meeting is necessary, the case shall be discussed at a meeting of the Council.

(2) If it is decided to circulate any case to the Ministers, copies of all papers relating to such case which are circulated among the Ministers shall simultaneously be sent to the Governor. Where such a case is circulated in original to the Ministers it should be circulated to the Governor also after all the Ministers have seen.

The order of circulation shall be as follows:—

- (a) the Minister-in-charge;
- (b) the Finance Minister (if the case involves financial issues);
- (c) other Ministers in the order of juniority;
- (d) the Finance Ministers (if the case involves financial issues);
- (e) the Minister-in-charge;
- (f) the Chief Minister; and
- (g) the Governor.

13. (1) In the cases which are circulated for opinion under rule 12, the Chief Minister may direct, if the matter be urgent, that if any Minister fails to communicate his opinion to the Secretary to the Council by a date to be specified by him in the memorandum for circulation it shall be assumed that he has accepted the recommendations contained therein.

(2) If the Ministers have accepted the recommendations contained in the memorandum for circulation for the date by which they were required to communicate their opinion has expired, the Secretary to the Council shall submit the case to the Chief Minister. If the Chief Minister accepts the recommendations and if he has no observation to make he shall return the case with orders thereon to the Secretary to the Council who will pass it on to the Secretary concerned who will thereupon take steps to issue the necessary orders.

14. When it has been decided to bring a case before the Council, the Department to which the case belongs shall, unless the Chief Minister otherwise directs, prepare a memorandum indicating with sufficient precision the salient facts of the case and the points for decision. Such memorandum and such other papers as are necessary to enable the case to be disposed of shall be circulated to the Ministers. Copies of the memorandum and other papers shall at the same time be sent to the Governor.

15. In cases which concern more Ministers than one, the Ministers concerned shall attempt by previous discussion to arrive at an agreement. If an agreement is reached the memorandum referred to in rule 13 or rule 14 shall contain the joint recommendations of the Ministers; and if no agreement is reached, the memorandum shall state the points of difference and the recommendation of each of the Ministers concerned.

16. (1) The Council shall meet at such place and time as the Chief Minister may direct.

(2) After an agenda paper, showing the cases to be discussed at a meeting of the Council has been approved by the Chief Minister, copies thereof, together with copies of such memoranda as have not been circulated under rule 14 shall be sent by the Secretary to the Council, to the Chief Minister and other Ministers so as to reach them two clear days before the date of such meeting. The Chief Minister may, in the case of emergency, curtail the said period of two days. Copies of the agenda and the memoranda shall at the same time be sent to the Governor.

(3) Except with the permission of the Chief Minister no case shall be placed on the agenda of a meeting unless papers relating thereto have been circulated as required by rule 14.

(4) If any Minister is on tour, the agenda paper shall be forwarded to the Secretary concerned who, if he considers that the discussion of any case should await the return of the Minister, may request the Secretary to the Council to take the orders of the Chief Minister for postponement of the discussion of the case until the return of the Minister.

(5) The Chief Minister or in his absence, any other Minister nominated by him shall preside at a meeting of the Council.

(6) The Secretary concerned with the case shall attend the meeting unless his presence is excused by the Chief Minister.

(7) The Secretary of the Council shall attend the meetings of the Council and shall prepare a record of the decision. He shall forward a copy of such record to the Secretaries concerned, the Minister-in-charge concerned, the Chief Minister and the Governor.

17. (1) When a case has been decided by the Council after discussion at a meeting, the Minister concerned shall take action to give effect to the decision. If, however, any deviation is proposed to be made from that decision, the case shall be submitted by the Minister concerned to the Chief Minister for his permission for the case being again brought before the Council. The Secretary concerned shall in each such case cause to be supplied to the Secretary to the Council such documents as the latter may require to enable him to maintain his record of the case.

(2) The decision of the Council relating to each case shall be separately recorded and, after approval by the Chief Minister or any other Minister presiding, shall be placed with the record of the case. Copy of the decision shall be sent to the Governor.

Part-III-Departmental Disposal of Business

A – General

18. Except as otherwise provided by any other rule, cases shall ordinarily be disposed of by or under the authority of the Minister-in-charge who may, by means of standing orders, give such directions as he thinks fit for the disposal of cases in the Department. Copies of such standing orders shall be sent to the Chief Minister and the Governor.

19. Each Minister shall, by means of standing orders, arrange with the Secretary what cases or classes of cases are to be brought to his personal notice. Copies of such standing orders shall be sent to the Chief Minister and the Governor :

Provided that it shall not be necessary for the Secretary to obtain the concurrence of the Minister-in-charge for referring a case to the Chief Secretary or to the Legal Remembrancer for advice, but he shall keep the Minister-in-charge informed of the action taken:

Provided further that in case the Administrative department proposes not to act according to the advice of the Chief Secretary or of the Legal Remembrancer it shall be necessary to refer the case to the Chief Minister before taking final action in the matter.

20. Except as otherwise provided therein every case shall be submitted by the Secretary to the Minister-in-charge.

21. Every Monday, the Secretary shall submit to the Minister-in-charge, a statement showing particulars of cases disposed of in the Department by the Minister, and of cases, which he considers important, disposed of by the Secretary himself during the preceding week. A copy each of the said statement shall be submitted to the Chief Minister and to the Governor.

22. When the subject of a case concerns more than one Department, no order shall be issued nor shall the case be laid before the Council until it has been considered by all the Departments concerned, unless the case is one of extreme urgency.

23. If the Departments concerned are not in agreement regarding the case dealt with under rule 22, the Minister-in-charge of the Department may, if he wishes to proceed with the case, direct that the case be submitted to the Chief Minister for orders for laying the case before the Council.

24. (1) A Secretary may requisition the papers in any Department, other than the Finance Department, if such papers are required for the disposal of a case in his Department.

(2) Such request shall be dealt with under the General or special orders of the Minister-in-charge.

(3) A Minister may send for any papers from any Department for his information provided that, if he is of the opinion that any further action should be taken on them, he shall communicate his views to the Minister-in-charge, who, if he agrees with the suggestion, may get the necessary action initiated through the Secretary concerned. In case he disagrees with the suggestion he may submit the case to the Chief Minister with a request that the matter be laid before the Council. No further notes shall be recorded in the case before the papers are so laid before the Council :

Provided that no file shall be sent to the Minister except under the orders of the Minister-in-charge. If, however, the Minister-in-charge is of the view that the file should not be so sent he shall submit the case to the Chief Minister for final orders:

Provided further that no office file shall be summoned by the Minister in cases where the matter is pending in a court of law or with an authority competent to deal with the case in a judicial capacity.

(4) (a) The Chief Secretary may, on the orders of the Chief Minister or of any Minister or of his own motion, ask to see papers relating to any case in any Department and any such request by him shall be complied with by the Secretary concerned.

(b) The Chief Secretary may after examination of the case, submit it for the orders of the Minister-in-charge or of the Chief Minister through the Minister-in-charge.

25. If a question arises as to the Department to which a case properly belongs, the matter shall be referred for the decision of the Chief Secretary who may, if necessary, obtain the orders of the Chief Minister.

26. All communications received from the Government of India (including those from the Prime Minister and other Ministers of the Union), other than those of routine or unimportant character, shall, as soon as possible after receipt, be submitted by the Secretary to the Minister-in-charge, the Chief Minister and the Governor for information.

Note :— The preliminary submission of the original letters in such cases should not be allowed to delay Secretariat action thereon, and where necessary copies

of such communications should be made out before their submission to the Minister-in-charge, the Chief Minister and the Governor.

27. Any matter likely to bring the State Government into controversy with the Government of India or with any other State Government, shall as soon as the possibility of such controversy is seen, be brought to the notice of the Minister-in-charge, the Chief Minister and the Governor.

27-A. Except as otherwise provided in these rules, all proposals of the Finance Department which involve financial implications and which that Department is competent to initiate as Administrative Department shall be submitted to the Chief Minister through the Chief Secretary for final orders.

28. (1) The following classes of cases shall be submitted to the Chief Minister before the issue of orders :

- (i) Proposals for the grant of pardons or commutation of a sentence in pursuance of article 161.
- (ii) Cases raising questions of policy and cases of administrative importance not already covered by the Schedule.
- (iii) Cases which affect or are likely to affect the peace and tranquility of the State.
- (iv) Cases which affect or are likely to affect the interests of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes.
- (v) Cases which affect the relations of the State Government with the Government of India, any other State Government, the Supreme Court or the High Court.
- (vi) Constitution of an Advisory Board under Article 22(4) (a) for the detention of persons without trial.
- (vii) Proposals for the prosecution, dismissal, removal or compulsory retirement of any gazetted officer.
- (viii) Proposals for the appointment and posting of the following officers :—
 - (a) Chief Secretary, Secretaries, Additional Secretaries and Joint Secretaries of Departments of Government.
 - (b) Heads of Departments.
 - (c) Special Officer (e.g. Food Commissioner, Planning Officer, etc.).
 - ** (d) Omitted
 - (e) Deputy Inspector General of Police.

** Omitted vide No. 10/4-2 Cabinet-98 dated 4-9-2001.

- (f) Deputy Commissioners or Collectors.
- (g) Superintendents of Police.
- (h) Superintending Engineers.
- (i) All other Class 1 Officers.
- (ix) Proposals for the provision of representation to the Anglo-Indian community (article 333).
- (x) any communication from the Election Commission, especially with reference to its requirements as to staff and action proposed to be taken thereon;

*Provided that this clause shall not apply to those communications of the Election Commission in which views, reports, proposals or Recommendations of the Chief Electoral Officer are called for in matters relating to or connected with the preparation and revision of Electoral rolls, conduct of election and by elections and delimitation of constituencies.

- (xi) Cases or questions as to disqualification of members of Legislature.
- (xii) Any departure from these rules which comes to the notice of the Chief Secretary or any Secretary.
- (xiii) Proposals for the appointment or removal of the Advocate General or for determining or varying the remuneration payable to him.
- *** (xiv) Proposal for appointment to the posts of Chief Parliamentary Secretary/ Parliamentary Secretaries and determining their qualifications as well as salary/remuneration and allowances payable to them.
- (xv) Cases pertaining to the Governor's personal establishment and Raj Bhavan matters.
- (xvi) Proposals for the appointment of Chairman, Member and Secretary of the State Public Service Commission.
- (xvii) Cases relating to the application of Acts of Parliament or of the State Legislature to the Scheduled Areas and the making of regulations for the peace and good Government of those areas.
- (xviii) Cases where successor Minister wishes to modify the orders of his predecessor in office.
- ** (xix) Omitted.
- **** (xx) Proposals involving the alienation either temporary or permanent or of sale, grant or lease of Government property between Rs. 3,00,000 and Rs. 7,00,000

* Amended vide No. 10/4/2 Cabinet-98 dated 4-9-2001.

* Proviso added vide No. 4/1-Cabinet-83 dated 18-3-83.

** Omitted vide No. 10/4-2 Cabinet-98 dated 4-9-2001.

*** Inserted vide No. 10/1/2006-2 Cabinet dated 14-3-2006.

in value or the abandonment or reduction of revenues between Rs. 3,00,000 and Rs. 7,00,000 except when such alienation, sale, grant or lease of Government property or abandonment or reduction of revenue is in accordance with the rules or with a general scheme already approved by the Council.

- (xxi)* Proposals for the creation, for a period exceeding six months or abolition of any public office, the maximum remuneration of which is between Rs. 6,500 and Rs. 20,900.
- (xxii) Proposals for the transfer of any gazetted officer on deputation from or to the Government of India and other State Governments.
- (xxiii) Nomination or appointment of Members or Directors of Advisory Committees or Boards, Corporations and other similar institutions, as the case may be.
- (xxiv) Proposals for the suspension of any Class I officer.
- *** (xxv) Such cases where it is proposed to deny the crossing of efficiency bar to Class I officers"
- (xxvi) Cases regarding representations by Class I officers against adverse remarks in confidential reports.
- (xxvii) Cases regarding issue of letters of appreciations to Class I officers.
- (xxviii) Case in which there is difference of opinion between the Minister-in-Charge and the Administrative Secretary.
- (xxix) Such other cases or classes or classes of cases as the Chief Minister may consider necessary.
- (xxx) All cases of Vigilance Department in which suspension of any gazetted Government employee is proposed.
- (xxxi) *Cases regarding deputation on training of officers of All India Services and other class I officers with the Government of India or or other State Governments.
- *** (xxxii) Cases in which there is any difference of opinion between the Minister-in-charge and his junior Minister, Minister of State and Deputy Minister (if any).

** Omitted vide No. 10/4-2 Cabinet-98 dated 4-9-2001.

*** Amended vide No. 7/2/2005-2 Cabinet date 13-10-2006.

* Clause added vide No. 64 Cabinet-82 Dated 14-1-82.

(2) The following classes of cases shall be submitted by the Chief Minister to the Governor before the issue of orders :—

- ** (i) Proposals to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.
- (ii) Such cases as, in the opinion of the Chief Minister, raise questions of policy.
- (iii) Cases which affect or are likely to effect the peace and tranquility of the State.
- (iv) Cases which affect or are likely to affect the interest of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes.
- (v) Cases which affect the relations of the State Government with the Government of India, any other State Government, the Supreme Court or the High Court.
- (vi) Cases pertaining to the Governor's personal establishment and Raj Bhavan matters.
- (vii) Proposals for the appointment of Chairman and Members of the State Public Service Commission.
- (viii) Cases relating to the application of Acts of Parliament or of the State Legislature to the Scheduled Areas and the making of regulations for the peace and good Government of those areas.
- (ix) Cases or questions as to disqualification of Members of a House of Legislature.
- *(x) Omitted.
- (xi) Such other cases or classes of cases which the Chief Minister may consider necessary or the Governor may wish to see.

(3) The Chief Minister may direct that any or all cases mentioned in sub-rule (1) above shall be submitted to him through the Chief Secretary.

29. Where in any case the Governor considers that any further action should be taken otherwise than in accordance with the orders passed by Minister-in-charge, the Governor may require the case to be laid before the Council for consideration whereupon the case shall be so laid:

Provided that the notes, minutes or comments of the Governor in any such case shall not be brought on the Secretariat record unless the Governor so directs

30. The Chief Minister shall—

- (a) cause to be furnished to the Governor such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for; and

**Amended vide No. 980 Cabinet-80 Dated 25-7-80.

***Clause added vide No. 10/4/2 Cabinet-97 Dated 12-5-99.

Omitted vide No. 10/4-2 Cabinet-98 Dated 4-9-2001.

- (b) if the Governor so requires, submit for the consideration of the Council any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

B—Finance Department

31. The Finance Department shall be consulted before the issue of orders upon all proposals which affect the finances of the State and in particular—

- (a) proposals to add any post or abolish any post from the public service or to vary the emoluments of any post;
- (b) proposals to sanction an allowance or special or personal pay for any post or class of posts or to any Servant of the Government of the State;
- (c) proposals involving abandonment of revenue or involving an expenditure for which no provision has been made in the Appropriation Act.

32. The views of the Finance Department shall be brought on the permanent record of the Department to which the case belongs and shall form part of the case.

33. The Finance Department may, by general or special order, prescribe cases in which its concurrence may be presumed to have been given.

34. (1) The Finance Minister may call for any papers in a case in which any of the matters referred to in rule 7 or rule 31 is involved and the Department to whom the request is addressed shall supply the papers.

(2) On receipt of papers called for under sub-rule(1) the Finance Minister may request that the papers with his note on them shall be submitted to the Council.

(3) The Finance Department may make rules to govern financial procedure, in general, in all Departments and to regulate the Finance Department and the dealings of the other Departments with the Finance Department.

C—Law Department

35. Except as hereinafter provided the Law Department is not, in respect of legislation, an originating or Department and its proper function is to put into technical shape the projects of legislation of which the policy has been approved; and every proposal to initiate legislation shall be considered in, and if necessary transferred to, the Department to which the subject matter of legislation relates and the necessity for legislation and all matters of substance to be embodied in the bill shall be discussed and, subject to rule 5, settled in such Department.

36. Proposals to initiate legislation shall be treated as a case and shall be disposed of accordingly:

Provided that the case shall not be submitted to the Chief Minister until the Department concerned has consulted the law Department as to—

- (i) the need for the proposed legislation from a legal point of view;

- (ii) the competence of the State Legislature to enact the measure proposed;
- (iii) the requirements of the Constitution as to obtaining the previous sanction of the President thereto; and
- (iv) the consistency of the proposed measure with the provisions of the Constitution, and, in particular, those relating to the Fundamental Rights.

37. After obtaining the opinion of the Law Department on matters referred to in the next preceding rule, and if the proposed legislation involves expenditure from the Consolidated Fund after a financial memorandum has been prepared in consultation with the Finance Department, the proposal should be submitted to the Council of Ministers in accordance with these rules alongwith a full explanatory memorandum.

38. If the proposal for the legislation is approved by the Council of Ministers the case shall be sent to the law Department along with the decision of the Council of Ministers and the explanatory memorandum for the purpose of preparing a tentative draft of the Bill.

39. The Law Department shall prepare a tentative draft of the Bill and return the case to the Department concerned.

40. The Administrative Department will after consulting such officers and bodies as is deemed necessary, submit the draft Bill to the Council of Ministers alongwith the opinion, if any, of the officers or bodies consulted.

41. If it is decided by the Council of Ministers to proceed with the Bill, with or without amendments, the Administrative Department shall send the case to the Law Department alongwith the final decision of the Council of Ministers requesting it to prepare the final draft of the Bill.

42. The Law Department shall then finalise the draft and send a draft Bill to the originating Department indicating at the same time the sanctions, if any, required for the Bill. If any provisions in the Bill involving expenditure from the Consolidated Fund of the State are modified in the finalized Draft, the Department shall send the finalized Draft Bill to the Finance Department for revising, if necessary, the financial memorandum.

43. The originating department will then transfer the final draft Bill to the Chief Secretary in the Political Branch with the instructions of Government thereon, including instructions as to its introduction in the Legislative Assembly, and with copies of such papers underlying the Bill as should be communicated to the Legislative Assembly.

44. Notwithstanding anything contained in rule 35 measures designed solely to codify and consolidate existing enactments and legislation of a formal character, such as repealing and amending Bills, may be initiated in the Law Department :

Provided that the Law Department shall send a copy of the draft Bill to the Department, which is concerned with the subject matter, for consideration as an administrative measure and the Department to which it is sent shall forthwith make such inquiries as it thinks fit and shall, send to the Law Department its opinion thereon together with a copy of every communication received by them on the subject.

45. (1) Whenever a private Member of the State Legislature gives notice of his intention to move for leave to introduce a Bill, the Law Department shall, forthwith, send a copy of the Bill and the Statement of Objects and Reasons for information to the Chief Minister and to the Department to which the case belongs.

(2) The bill shall be dealt with as a case in the first instance by the Law Department where it shall be considered in its technical aspects, such as need for previous sanction of the President and the competence of the State Legislature to enact the measure and then forwarded with its opinion to the Department to which the case belongs.

(3) If any provisions of such Bill involve expenditure from the Consolidated Fund of the State the Department shall, before it is circulated, prepare in consultation with Finance Department, the financial memorandum in respect of the Bill.

46. The provisions of rule 45 shall apply, as far as may be, to amendments of substance recommended by the Select Committee and also to all amendments, notice of which is given by Members of the State Legislature for being moved during the consideration of a Bill in that Legislature.

47. (1) When a bill has been passed by the Legislature, it shall be examined in the Department concerned and the Law Department and shall be forwarded to the Governor with—

- (a) a report of the Secretary concerned as to the reasons if any why the Governor's assent should not be given ; and
- (b) a report of the Law Secretary as to the reasons, if any why the Governor's assent should not be given or the Bill should not be reserved for the consideration of the President.

(2) Where the Governor directs that the Bill should be reserved for the consideration of the President or returned to the Legislature with a message, necessary action in that behalf shall be taken by the Secretary to the Governor in consultation with the Secretary to the Administrative Department concerned and the Law Secretary.

(3) After obtaining the assent of the Governor or the President, as the case may be, the Law Department shall take steps for the publication of the Bill in the official gazette as an act of the Legislature.

*47-A. The translation in Hindi to be published under Section 4A of the Haryana Official Languages Act, 1969, shall be authenticated by a Deputy Secretary, Draftsman, Under Secretary or Deputy Draftsman of the Law and Legislative Department.

*47-B. The translation in Hindi of Bills under section 4B of the Haryana Official Languages Act, 1969, shall be authorized by a Deputy Secretary, Draftsman, Under Secretary or Deputy Draftsman of the Law and Legislative Department.

47-C. The publication of translation in Hindi under clause (d) of Section 4A of the Haryana Official Languages Act, 1969, shall be authorized by the Secretary, Government, Haryana, Law and Legislative Department.

47-D. The translation in Hindi under Section 4A of the Haryana Official Languages Act, 1969, shall be published in the Official Gazette by the Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department.

48. Whenever it is proposed in any Department, other than the Law Department:—

- (i) to issue a statutory rule, notification or order; or
- (ii) to sanction under a statutory power the issue of any rule, bye-law, notification or order by a subordinate authority; or
- (iii) to submit to the Central Government any draft statutory rule, notification or order for issue by them;

the draft shall ordinarily be referred to the Law Department for opinion and for revision where necessary.

49. (1) All Administrative Departments shall consult the Law Department on—

- (a) the construction of statutes, Acts, regulations and statutory rules, orders and notifications;
- (b) any general legal principles arising out of any case; and
- (c) the institution or withdrawal of any prosecution at the instance of any Administrative Department.

(2) Every such reference shall be accompanied by an accurate statement of the facts of the case and the point or points on which the advice of the Law Department is desired.

Part-IV — Supplementary

50. The Secretary concerned is, in each case, responsible for the careful observance of these rules and, when he considers that there has been any material departure from them, he shall personally bring the matter to the notice of the Minister-in-charge and the Chief Secretary.

*50A. Notwithstanding anything contained in these rules, the decisions of the Economic Development Board and High Powered Committee for customized Special Package of Incentives as constituted under the Industrial Policy, 1999—*vide* Haryana Government, Industries Department, notifications No. 2/131/99-IIB(I), dated the 31st December, 1999 and No. 49/123/99-4B(I), dated the 17th November, 1999, respectively shall be deemed to be the decisions of the Council. Consultation with the Finance Department under rules 7 and 31 and examination of the matter by the concerned Administrative Department shall not be required.

*Rule added vide No. 10/3-2 Cabinet-2000 dated 19-6-2000.

*50B. Notwithstanding anything contained in these rules, the decisions of the State Level Steering Committee and High Powered Committee constituted under the Information Technology Policy, 2000,—*vide* Haryana Government Department of Electronics and Information Technology, notifications No. 49/32/2000-IIB1(I), dated the 12th May, 2000, and No. 49/32/2000-IIB 1 (4), dated the 12th May, 2000 respectively, shall be deemed to be the decisions of the Council. Consultation with the Finance Department under rules 7 and 31 and examination of the matter by the concerned Administrative Department shall not be required.

51. These Rules may, to such extent, as necessary, be supplemented by instructions to be issued by the Governor on the advice of the Chief Minister.

Dated, Chandigarh,
The 21st June, 1977

JAISUKHLALHATHI,
Governor,
Haryana.

Dated, Chandigarh,
The 21st June, 1977

S.D. BHAMBRI,
Chief Secretary, Haryana.

SCHEDULE

(See Rules 5 and 11)

1. Proposals summon the House of Legislature of the State.
2. Proposals for the making or proposals involving amendment, other than routine amendment of rules regulating the recruitment and the conditions of service of--
 - (a) Persons appointed to the Secretariat staff of the Assembly [article 187(3)];
 - (b) officers and servants of the High Court under article 229, provisos to clauses (1) and (2);
 - (c) persons appointed to the public service and posts in connection with the State(proviso to article-309).
3. The annual financial statement to be laid before the Legislature and demands for supplementary, additional or excess grants.
4. Proposals for the making or amending of rules under article 234.
5. Proposals for the issue of a notification under article 237.
6. Any proposal involving any action for the dismissal, removal or suspension of a Member of the Public Service Commission.
7. Proposals for making or amending regulations under article 318 or under the proviso to clause (3) of article 320.
8. Report of the Public Service Commission on its work [article 323 (2)] and any action proposed to be taken with reference thereto.
9. Proposals for legislation, including the issue of Ordinance under article 213 of the Constitution.
10. Proposals for the imposition of a new tax, or any change in the method of assessment, or the pitch of any existing tax, or land revenue, or irrigation rates or for the raising of loans on the security of revenues of the State, or for giving of a guarantee by the Government of the State.
11. Any proposal which affects the finances of the State which has not the consent of the Finance Minister.
12. Any proposal for re-appropriation to which the consent of the Finance Minister is required and has been withheld.
13. *Proposals involving the alienation either temporary or permanent or of sale, grant or lease of Government property exceeding Rs. 7,00,000 in value or the abandonment or reduction of revenue exceeding that amount except when such alienation, sale, grant or lease of Government property or abandonment or reduction of revenue is in accordance with the rules or with a general scheme already approved by the Council.

* Amended vide No. 10/4-2 cabinet-98 dated 4-9-2001.

14. The annual audit review of the finance of the State and the report of the Public Accounts Committee.

15. Proposals involving any important change of policy or practice.

16. *Proposals for the creation for a period exceeding six months or abolition of any public office, carrying a remuneration of Rs. 18,400-22,400 and above, excepting the posts which are to be manned by the I.A.S., I.P.S., or I.F.S. Officers.

17. Proposals involving any important alteration in the conditions of service of the members of the State Service or in the method of recruitment to the service or post to which appointment is made by Government.

18. Reports of the Committees of Inquiry appointed in pursuance of a Resolution passed by the State Legislature.

19. Proposals for action inconsistent with the recommendation of the Public Service Commission.

* 20. Cases required by the Governor or the Chief Minister to be brought before Council.

गोपनीय
केवल शासकीय
प्रयोग के लिए

सामान्य प्रशासन

मन्त्रिमण्डल

आदेश

चण्डीगढ़ दिनांक 21 जून, 1977

सं० 336-मन्त्रिमण्डल-77.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तथा इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जय सुखलाल हाथी, राज्यपाल, हरियाणा, विद्यमान नियमों के अधिक्रमण में इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता हूँ :—

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977, कहे जा सकते हैं, और तुरन्त लागू होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;—

(क) “अनुच्छेद” से अभिप्राय है, भारत के संविधान का अनुच्छेद;

(ख) “परिषद्” से अभिप्राय है, अनुच्छेद 163 के अधीन गठित मन्त्रिपरिषद्;

(ग) “विभाग” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, में विनिर्दिष्ट कोई विभाग;

(घ) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ङ) “सचिव” से अभिप्राय है, सचिव, हरियाणा राज्य सरकार।

3. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार यह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग -1 कार्य का निपटान

4. परिषद् इन नियमों के अनुसार राज्यपाल के नाम से जारी किए गए सभी कार्यकारी आदेशों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी चाहे ऐसे आदेश मंत्री द्वारा वैयक्तिक रूप से उसके विभाग से सम्बद्ध किसी मामले पर प्राधिकृत किए गए हों या

परिषद् की किसी बैठक में विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप हो अथवा किसी प्रकार से अन्यथा हों।

5. नियम 11 के अधीन मुख्य मंत्री के आदेशों के अधीन रहते हुए अनुसूची में निर्दिष्ट सभी मामले भाग-II में अन्तर्विष्ट नियमों के उपबन्धों के अनुसार परिषद् के सामने रखे जाएंगे :

परन्तु किसी भी ऐसे मामले में जिसके सम्बन्ध में नियम 7 के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है, अपवादात्मक परिस्थितियों और मुख्य मंत्री के निदेशों के अधीन के सिवाय, परिषद् में तब तक विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जब तक वित्त मंत्री को उस पर विचार करने के लिए अवसर नहीं दे दिया जाता।

6. नियम 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी विभाग का भार-साधक मंत्री उस विभाग से संबंधित कार्य के निपटान के लिए प्राथमिकतः उत्तरदायी होगा :

परन्तु किसी मंत्री द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य की गोपनीय पंजी में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर विचार मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री से मिलकर बनी मंत्रिमण्डल उप-समिति द्वारा किया जाएगा। उप-समिति उस मंत्री को, यदि वह मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री से भिन्न है, जिसकी टिप्पणी के विरुद्ध अभ्यावेदन किया गया है, सहयोजित करेगी। उक्त उप-समिति ऐसे मामलों में सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगी।

7. (1) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श के बिना, किन्हीं ऐसे आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किए गए किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में आदेशों से भिन्न) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो :—

(क) या तो तुरन्त अथवा अपनी प्रतिक्रिया द्वारा राज्य के वित्त को प्रभावित करेंगे या जो विशेष रूप से—

(i) भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन-अधिकारों की रियायत, अनुदान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल शक्ति का कोई अधिकार या ऐसी रियायत के सम्बन्ध में कोई सुखाचार या विशेषाधिकार अन्तर्वलित करते हों; या

(ii) किसी भी रूप में राजस्व के किसी त्याग को अन्तर्वलित करता हो,

या

(ख) पदों की संख्या, श्रेणीकरण या संवर्ग से अथवा सेवा या पदों की परिलब्धियों या अन्य शर्तों से संबंधित हो।

(2) किसी भी ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिसकी इस नियम के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श की अपेक्षा है, किन्तु जिसमें वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी है, तब तक कार्यवाही न की जाए जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय नहीं लिया गया हो।

(3) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसा सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसार के सिवाय नहीं किया जाएगा जो वित्त विभाग द्वारा किया गया हो।

(4) उस सीमा के सिवाय जिस तक वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो, लेखा परीक्षा में प्रवर्तित होने वाली स्वीकृति को सूचित करने वाला प्रशासनिक विभाग का प्रत्येक आदेश वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाएगा।

(5) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

8. हरियाणा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए या निष्पादित सभी आदेशों या लिखतों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाएगा कि वे राज्यपाल के नाम से किए गए या निष्पादित की गई हैं।

9. (i) हरियाणा राज्य के राज्यपाल का प्रत्येक आदेश वा लिखित या तो किसी सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या सहायक सचिव द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसे राज्यपाल द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया जाए और ऐसे हस्ताक्षर को ऐसे आदेश या लिखित का उचित अधिप्रमाण न समझा जाएगा।

(ii) कोई मंत्री, दौरे के समय निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा :—

(क) स्थानीय अधिकारियों को उसके अपने विभाग से संबंधित आदेश देना। ये आदेश लिखित रूप में होंगे और उनके सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बद्ध प्रशासकीय सचिव को भेजी जायेगी; और

(ख) ऐसे विभागों के सम्बन्ध में जो उसके अधीन नहीं हैं, किसी याचिका या अभ्यावेदन की प्राप्ति पर किसी स्थानीय अधिकारी को उसके जांच करने और उसके बारे में रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए कहना।

भाग II— परिषद् की प्रक्रिया

10. मुख्य सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे मुख्य मंत्री नियुक्त करे परिषद् का सचिव होगा।

11. अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले भार साधक मंत्री द्वारा विचार किये जाने के बाद मुख्य मंत्री को नियम 12 के अधीन मामले के परिचालन के लिए अथवा परिषद् की बैठक में विचारार्थ लाने के लिए उसके आदेश प्राप्त करने की दृष्टि से प्रस्तुत किए जाएंगे।

12. (1) मुख्य मंत्री निदेश कर सकता है कि अनुसूची में निर्दिष्ट कोई मामला परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श के लिए लाने की बजाए मंत्रियों की मन्त्रणा के लिए परिचालित किया जाए, और यदि सभी मंत्री एकमत हैं और मुख्य मंत्री समझता है कि परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श करना अनावश्यक है तो, मामला ऐसे विचार-विमर्श के बिना ही निर्णीत किया जाएगा। यदि मंत्री एकमत नहीं हैं या यदि मुख्य मंत्री समझता है कि बैठक में विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है, तो मामले पर परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(2) यदि किसी मामले को मंत्रियों को परिचालित करने का निर्णय किया जाता है तो ऐसे मामले से सम्बंधित ऐसे सभी कागज-पत्रों की प्रतियां जो मंत्रियों में परिचालित की जाती हैं, साथ-साथ राज्यपाल को भेजी जाएंगी। जहाँ ऐसा मामला मूल रूप में मंत्रियों को परिचालित किया जाता है वहाँ यह सभी मंत्रियों के देख लेने के बाद राज्यपाल को भी परिचालित किया जाना चाहिए।

परिचालन का क्रम निम्न प्रकार होगा :—

(क) भारसाधक मंत्री ;

(ख) वित्त मंत्री (यदि मामले में वित्तीय विवाद्यक अन्तर्वलित है) ;

(ग) कनिष्ठता के क्रम में अन्य मंत्री;

(घ) वित्त मंत्री (यदि मामले में वित्तीय विवाद्यक अन्तर्वलित है);

(ङ) भार साधक मंत्री;

(च) मुख्य मंत्री; और

(छ) राज्यपाल।

13. (1) ऐसे मामलों में जो नियम 12 के अधीन मन्त्रणा के लिए परिचालित किए जाते हैं, मुख्य मंत्री, यदि विषय अतिआवश्यक हो, निदेश कर सकता है कि यदि कोई

मंत्री, परिषद् के सचिव को परिचालन के लिए ज्ञापन में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि तक अपनी मंत्रणा संसूचित करने में असफल रहता है तो, यह समझा जाएगा कि उसने उसमें अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(2) यदि मंत्रियों ने परिचालन के लिए ज्ञापन में अन्तर्विष्ट सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं या वह तिथि जिस तक उनसे अपनी मंत्रणा संसूचित करने के लिए अपेक्षा की गई थी समाप्त हो गई है तो परिषद् का सचिव मामला मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करेगा। यदि मुख्य मंत्री सिफारिशें स्वीकार कर लेता है और यदि उसे कोई संप्रेक्षण नहीं करना हो तो वह मामला उस पर आदेश करके परिषद् के सचिव को लौटा देगा जो उसे सम्बद्ध सचिव को भेज देगा जो इसके पश्चात् आवश्यक आदेश जारी करने के लिए कदम उठाएगा।

14. जब मामले को परिषद् के सामने लाए जाने का निर्णय हो जाए, तब वह विभाग जिससे मामला सम्बन्धित है, जब तक मुख्य मंत्री अन्यथा निदेश नहीं करता, मामले के मुख्य तथ्यों और निर्णय के लिए बिन्दुओं को पर्याप्त यथार्थता से इंगित करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा। ऐसा ज्ञापन तथा ऐसे अन्य कागज-पत्र जो मामले को निपटा सकने के लिए आवश्यक हैं, मंत्रियों को परिचालित किए जाएंगे। ज्ञापन तथा अन्य कागज-पत्रों की प्रतियां उसी समय राज्यपाल को भेजी जाएंगी।

15. ऐसे मामलों में जो एक से अधिक मंत्रियों से संबंधित हैं, सम्बद्ध मंत्री किसी सहमति पर पहुँचने के लिए पूर्व विचार-विमर्श द्वारा प्रयास करेंगे। यदि कोई सहमति हो जाती है, तो नियम 13 या नियम 14 में निर्दिष्ट ज्ञापन में मंत्रियों की संयुक्त सिफारिशें होंगी, और यदि कोई सहमति नहीं होती, तो ज्ञापन में मतभेद के बिन्दु तथा प्रत्येक सम्बद्ध मंत्री की सिफारिश कथित होगी।

16. (1) परिषद् ऐसे स्थान और समय पर बैठक करेगी जो मुख्य मंत्री निर्दिष्ट करे।

(2) परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले मामलों को दर्शाने वाली कार्य सूची के कागज-पत्र मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात् उसकी प्रतियां, ऐसे ज्ञापन की प्रतियां सहित, जो नियम 14 के अधीन परिचालित नहीं किए गए हैं, परिषद् के सचिव द्वारा मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को भेजी जाएंगी ताकि ये ऐसी बैठक की तिथि से पूरे दो दिन पूर्व उनके पास पहुँच जाएं। मुख्य मंत्री आपात स्थिति में उक्त दो दिन की अवधि कम कर सकता है। कार्य-सूची तथा ज्ञापनों की प्रतियां उसी समय राज्यपाल को भेजी जाएंगी।

(3) मुख्य मंत्री की अनुज्ञा के सिवाय कोई भी मामला बैठक की कार्य-सूची पर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उससे सम्बन्धित कागज-पत्र नियम 14 की अपेक्षानुसार परिचालित न कर दिए गए हों।

(4) यदि कोई मंत्री दौरे पर है, तो कार्य-सूची सम्बद्ध सचिव को अग्रेषित की जाएगी, जो यदि वह यह समझता है कि किसी मामले पर विचार-विमर्श के लिए मंत्री की वापसी की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, तो परिषद् के सचिव से मंत्री की वापसी तक मामले पर विचार-विमर्श के स्थगन के लिए मुख्य मंत्री के आदेश प्राप्त करने हेतु निवेदन कर सकता है।

(5) मुख्य मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(6) मामले से सम्बद्ध सचिव बैठक में उपस्थित होगा जब तक मुख्य मंत्री द्वारा उसकी उपस्थिति माफ नहीं कर दी जाती।

(7) परिषद् का सचिव परिषद् की बैठकों में उपस्थित होगा और निर्णय का अभिलेख तैयार करेगा वह ऐसे अभिलेख की एक-एक-प्रति सम्बद्ध सचिवों, सम्बद्ध भारसाधक मंत्रियों, मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को भेजेगा।

17. (1) जब किसी मामले पर बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद् द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो, तो सम्बद्ध मंत्री निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगा। यदि फिर भी निर्णय से कोई विचलन करना प्रस्तावित हो, तो मामला सम्बद्ध मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री को, मामला परिषद् के सामने फिर से लाने के लिये उसकी अनुज्ञा के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा। सम्बद्ध सचिव प्रत्येक ऐसे मामले में परिषद् के सचिव को ऐसी दस्तावेजें भिजवाएगा जिनकी परिषद् का सचिव अपेक्षा करे, ताकि वह मामले का अपना अभिलेख रख सके।

(2) प्रत्येक मामले से सम्बन्धित परिषद् का निर्णय अलग से अभिलिखित किया जाएगा और मुख्य मंत्री या अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य मंत्री के अनुमोदन के पश्चात्, मामले के अभिलेख के साथ रखा जाएगा। निर्णयों की प्रति राज्यपाल को भेजी जाएगी।

भाग III— कार्य का विभागीय निपटान

क-सामान्य

18. किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मामले सामान्यतः भार साधक मंत्री के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन निपटाए जाएंगे, जो स्थाई आदेशों द्वारा ऐसे निदेश कर सकता है जिन्हें वह विभाग में मामलों के निपटान के लिए उचित समझे। ऐसे स्थाई आदेशों की प्रतियां मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को भेजी जाएंगी।

19. प्रत्येक मंत्री, स्थाई आदेशों द्वारा सचिव के साथ व्यवस्था करेगा कि कौन से मामले या मामलों के वर्ग उसके वैयक्तिक ध्यान में लाए जाने हैं। ऐसे स्थायी आदेशों की प्रतियां मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को भेजी जाएंगी :

परन्तु सचिव के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि मुख्य सचिव या विधि परामर्शी को मामला मंत्रणा हेतु निर्दिष्ट करने के लिए भार साधक मंत्री की सहमति प्राप्त करे, परन्तु वह भार साधक मंत्री को की गई कार्यवाही के बारे में सूचित रखेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रशासकीय विभाग मुख्य सचिव या विधि परामर्शी की मंत्रणा के अनुसार कार्यवाही न करने का प्रस्ताव करे, तो मामले में अन्तिम कार्रवाई के करने से पहले मामला मुख्य मंत्री को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा।

20. उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक मामला सचिव द्वारा भार साधक मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

21. प्रत्येक सोमवार को, सचिव, भार-साधक मंत्री को पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान मंत्री द्वारा विभाग में निपटाए गये मामलों की तथा ऐसे मामलों की, जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, जो सचिव द्वारा स्वयं निपटाए गए हों, विशिष्टियां दर्शित करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक उक्त विवरण की एक-एक प्रति मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी।

22. जब किसी मामले के विषय का सम्बन्ध एक से अधिक विभागों से है, जब तक मामला नितांत अत्यावश्यकता का न हो तब तक न तो कोई आदेश जारी किए जाएंगे न ही मामला परिषद् के सामने रखा जाएगा, जब तक कि सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो।

23. यदि सम्बद्ध विभाग नियम 22 के अधीन कार्यवाही किए गए मामले के सम्बन्ध में सहमत नहीं है, तो विभाग का भार साधक मंत्री, यदि वह मामले पर कार्यवाही करना चाहता है, निदेश कर सकता है कि मामला परिषद् के सामने रखने के लिए मुख्य मंत्री के आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाए।

24. (1) कोई सचिव, वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग से कागज-पत्रों की अपेक्षा कर सकता है, यदि ऐसे कागज-पत्र उसके विभाग में मामले को निपटाने के लिए अपेक्षित हैं।

(2) ऐसे अनुरोध पर भार साधक मंत्री के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(3) कोई भी मंत्री किसी भी विभाग से अपनी जानकारी के लिए किन्हीं कागज-पत्रों को मंगवा सकता है। परन्तु यदि, उसकी राय में उन पर कोई और आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह अपने विचार भार साधक मंत्री को संसूचित करेगा, जो यदि वह उसके सुझाव से सहमत हो, सम्बद्ध सचिव के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करवा सकता है। यदि वह सुझाव से असहमत हो तो वह इस अनुरोध के साथ, मुख्य मंत्री को मामला प्रस्तुत कर सकता है कि विषय परिषद् के सामने रखा जाए। परिषद् के समाने इस प्रकार कागज-पत्र रखे जाने से पूर्व मामले में कोई आगामी टिप्पण अभिलिखित नहीं किए जाएंगे:

परन्तु भारसाधक मंत्री के आदेशों के अधीन के सिवाय कोई फाइल मंत्री को नहीं भेजी जाएगी। यदि, फिर भी भारसाधक मंत्री का विचार है कि फाइल इस प्रकार नहीं भेजी जानी चाहिए, तो वह मामला अन्तिम आदेशों के लिये मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और कि उन मामलों में कोई भी ऐसी कार्यालय-फाइल मंत्री द्वारा नहीं मंगवाई जाएगी जहां विषय किसी न्यायालय में अथवा न्यायिक हैसियत में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी के पास लम्बित है।

(4) (क) मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के आदेशों पर अथवा स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले से सम्बन्धित कागज-पत्र देखने के लिये मंगवा सकता है और उसके द्वारा ऐसे किसी अनुरोध का सम्बद्ध सचिव द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(ख) मुख्य सचिव मामले के परीक्षण के बाद, उसे भारसाधक मंत्री या भारसाधक मंत्री के माध्यम से मुख्य मंत्री को आदेशों के लिये प्रस्तुत कर सकता है।

25. यदि उस विभाग के बारे में प्रश्न उठता है, जिससे कोई मामला उचित रूप में सम्बन्धित है तो विषय मुख्य सचिव के निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो, यदि आवश्यक हो, मुख्य मंत्री के आदेश प्राप्त कर सकता है।

26. भारत सरकार से प्राप्त समस्त संसूचनाएं (उनके सहित जो प्रधान मंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों से प्राप्त हो), जो नेमी या अमहत्त्वपूर्ण स्वरूप की न हों, प्राप्ति के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, सचिव द्वारा भार साधक मंत्री, मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

टिप्पणी :— ऐसे मामलों में मूल पत्रों के प्रारम्भिक प्रस्तुतिकरण में उन पर सचिवालय कार्यवाही में विलम्ब अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, भार साधक मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को उनके प्रस्तुतिकरण से पहले ऐसी संसूचनाओं की प्रतियां तैयार कर लेनी चाहिए।

27. कोई ऐसा विषय, जिससे राज्य सरकार की भारत सरकार के साथ या किसी अन्य राज्य सरकार के साथ विवाद होने की संभावना हो, यथाशीघ्र, ज्योंहि ऐसे विवाद की संभावना दिखाई दे, भार साधक मंत्री, मुख्य मंत्री और राज्यपाल के ध्यान में लाया जाएगा।

27-क. इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वित्त विभाग के सभी प्रस्ताव, जिनमें वित्तीय विवक्षाएं अन्तर्वलित हैं और जिन्हें वह विभाग प्रशासकीय विभाग के रूप में प्रारम्भ करने के लिये सक्षम है मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे।

28. (1) निम्नलिखित वर्गों के मामले आदेश जारी करने से पूर्व मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे :

- (i) अनुच्छेद 161 के अनुसरण में क्षमा प्रदान करने या दण्डादेश के लघुकरण के लिए प्रस्ताव।
- (ii) नीति के प्रश्नों को उठाने वाले मामले तथा प्रशासकीय महत्त्व के मामले जो पहले से अनुसूची में न हों।
- (iii) ऐसे मामले जिनसे राज्य की शान्ति और प्रशान्ति प्रभावित होती है या प्रभावित होने की सम्भावना है।
- (iv) ऐसे मामले जिनसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के हित प्रभावित होते हैं या प्रभावित होने की सम्भावना है।
- (v) ऐसे मामले जिनसे राज्य सरकार के भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सम्बन्ध प्रभावित होते हैं।
- (vi) विचारण के बिना व्यक्तियों के निरोध के लिए अनुच्छेद 22(4) (क) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन।
- (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी के अभियोजन, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए प्रस्ताव।
- (viii) निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती के लिये प्रस्ताव :—
 - (क) मुख्य सचिव, सरकारी विभागों के सचिवों, अपर सचिवों तथा संयुक्त सचिवों।

(ख) विभागाध्यक्षों।

(ग) विशेष अधिकारी (उदाहरणार्थ खाद्य आयुक्त, योजना अधिकारी इत्यादि)।

* (घ) लोप किया गया।

(ङ) उप-महानिरीक्षक, पुलिस।

(च) उपायुक्तों या कलैक्टरों।

(छ) पुलिस अधीक्षकों।

(ज) अधीक्षक इंजीनियरों।

(झ) सभी अन्य वर्ग। के अधिकारियों।

(ix) आँगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के उपबन्ध के लिये प्रस्ताव (अनुच्छेद 333)

(x) निर्वाचन आयुक्त से कोई संसूचना, विशेष रूप से कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में उसकी अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से, तथा उन पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई :

**परन्तु यह खण्ड निर्वाचन आयुक्त की उन संसूचनाओं पर लागू नहीं होगा जिनमें निर्वाचन नामावलियां तैयार और पुनरीक्षण करने, निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बद्ध या संसक्त विषयों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विचार, रिपोर्ट, प्रस्ताव या सिफारिशें मांगी गई हों।

(xi) विधान मण्डल के सदस्यों की निरर्हता से सम्बंधित मामले या प्रश्न।

(xii) इन नियमों से कोई विचलन जो मुख्य सचिव या किसी सचिव के ध्यान में आता है।

(xiii) महाधिवक्ता की नियुक्ति या हटाए जाने के लिए या उसे भुगतान योग्य पारिश्रमिक के अवधारण या परिवर्तन के लिए प्रस्ताव।

** (xiv) लोप किया गया।

* क्रमांक 4/1- कैबिनेट-83 दिनांक 18/3/83 द्वारा परन्तुक लगाया गया।

*** क्रमांक 10/4-2 मंत्रीमण्डल-98 दिनांक 4-9-2001 द्वारा संशोधन किया गया।

(xv) राज्यपाल की वैयक्तिक स्थापना तथा राजभवन के विषयों से सम्बन्धित मामले।

(xvi) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव।

(xvii) अनुसूचित क्षेत्रों को संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के अधिनियमों को लागू करने से तथा उन क्षेत्रों की शांति तथा अच्छे शासन के लिए विनियम बनाने से सम्बन्धित मामले।

(xviii) ऐसे मामले जहां उत्तरवर्ती मन्त्री अपने पद-पूर्ववर्ती के आदेशों को उपांतरित करना चाहता है।

****(xix) “मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों के पदों की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं तथा उनको भुगतान योग्य वेतन/पारिश्रमिक तथा भत्तों का निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव।”

***(xx) 3,00,000 रु० और 7,00,000 रु० से बीच के मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का या तो अस्थाई अथवा स्थाई अन्यसंक्रामण या विक्रय, अनुदान या पट्टे के अथवा 3,00,000 रु० और 7,00,000 रु० के बीच राजस्वों के परित्याग के या कमी के, प्रस्ताव, सिवाय उस दशा के जब सरकारी सम्पत्ति का ऐसा अन्यसंक्रामण, विक्रय, अनुदान या पट्टा अथवा राजस्व का परित्याग या कमी नियमों के अनुसार है अथवा परिषद् द्वारा पहले से अनुमोदित साधारण स्कीम के अनुसार है।

*(xxi) किसी ऐसे लोक पद का छः महीने से अधिक की अवधि के लिए सृजन या उसकी समाप्ति के लिए प्रस्ताव, जिसका अधिकतम पारिश्रमिक 6,500/- रु० और 20,900/- रु० के बीच है।

(xxii) भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों से या प्रतिनियुक्ति पर किसी राजपत्रित अधिकारी के स्थानान्तरण के प्रस्ताव।

(xxiii) सलाहकार समितियों या बोर्डों, निगमों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों या निदेशकों का नामनिर्देशन या उनकी नियुक्ति।

**** क्रमांक 10/1/2006-2 मंत्रिमण्डल दिनांक 14-3-2006 द्वारा कलाज जोड़ा गया।

* क्रमांक 10/4-2 मंत्रिमण्डल-98 दिनांक 4-9-2001 द्वारा संशोधन किया गया।

(xxiv) वर्ग I के किसी अधिकारी के निलम्बन के लिए प्रस्ताव।

****(xxv) ऐसे मामले जहाँ वर्ग I के अधिकारियों को दक्षतारोध पार करने हेतु इन्कार करना प्रस्तावित है।

(xxvi) गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध वर्ग I के अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों से सम्बन्धित मामले।

(xxvii) वर्ग I के अधिकारियों को प्रशंसा-पत्र जारी करने से सम्बन्धित मामले।

(xxviii) ऐसे मामले जिनमें भारसाधक मन्त्री तथा प्रशासकीय सचिव के बीच मतभेद है।

(xxix) ऐसे अन्य मामले या मामलों के वर्ग जिन्हें मुख्य मन्त्री आवश्यक समझे।

(xxx) सतर्कता विभाग के सभी मामले जिनमें किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के निलम्बन का प्रस्ताव किया गया है।

(xxxi)** भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों के पास अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा अन्य वर्ग I के अधिकारियों की प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित मामले।

****(xxxii) ऐसे मामले जिनमें भारसाधक मन्त्री तथा उसके कनिष्ठ मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप मन्त्री (यदि कोई हो) के बीच मतभेद है।

(2) निम्नलिखित वर्गों के मामले आदेश जारी होने के पहले मुख्य मन्त्री, द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(i) ***किसी ऐसे विषय से संबंधित जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दण्ड की क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश निलम्बित करने, परिहार या लघुकरण करने के प्रस्ताव।

(ii) ऐसे मामले जो मुख्य मन्त्री की राय में नीति के प्रश्न उठाते हैं।

(iii) ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति और प्रशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होने की सम्भावना है।

**** क्रमांक 10/4/2 मंत्रीमण्डल-97 दिनांक 12-5-99 द्वारा क्लोज़ लगाई गई।

***** क्रमांक 7/2/2005-2 मंत्रीमण्डल दिनांक 13-10-2006 द्वारा संशोधन किया गया।

** क्रमांक 64-केबिनेट-82 दिनांक 14-1-82 द्वारा क्लोज़ लगाई गई।

*** क्रमांक 980-केबिनेट-80 दिनांक 25-7-80 द्वारा संशोधित किया गया।

- (iv) ऐसे मामले जिनसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हित प्रभावित होते हैं या होने की सम्भावना है।
- (v) मामले जिनसे राज्य सरकार के भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सम्बन्ध प्रभावित होते हैं।
- (vi) राज्यपाल की वैयक्तिक स्थापना तथा राजभवन के विषयों से सम्बन्धित मामले।
- (vii) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव।
- (viii) अनुसूचित क्षेत्रों को संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के अधिनियमों को लागू करने से तथा उन क्षेत्रों की शांति तथा अच्छे शासन के लिए विनियम बनाने से सम्बन्धित मामले।
- (ix) विधान मण्डल के सदस्यों की निरर्हता से सम्बन्धित मामले या प्रश्न।
- (x) लोप किया गया।
- (xi) ऐसे अन्य मामले या मामलों के वर्ग जिन्हें मुख्य मन्त्री आवश्यक समझे या राज्यपाल देखना चाहें।

(3) मुख्य मन्त्री निदेश कर सकता है कि ऊपर दिए गए नियम (1) में उल्लिखित मामलों में से कोई या सभी मुख्य सचिव के माध्यम से उसे प्रस्तुत किए जाएंगे।

29. जहां किसी मामले में राज्यपाल का विचार है कि आगे कार्यवाही की जानी चाहिए या भारसाधक मन्त्री द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार से अन्यथा कार्यवाही की जानी चाहिए, राज्यपाल मामले को, उस पर विचार करने के लिए परिषद् के सम्मुख रखने की अपेक्षा कर सकते हैं, तत्पश्चात् मामला इस प्रकार रखा जाएगा :

परन्तु ऐसे किसी मामले में राज्यपाल के टिप्पण, कार्यवृत्त या समीक्षा सचिवालय के अभिलेख पर तब तक नहीं लाए जाएंगे जब तक कि राज्यपाल इस प्रकार निदेश नहीं करते।

30. मुख्य मन्त्री —

- (क) राज्य के कार्याकलापों के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचना और विधान के लिए प्रस्ताव, जिन्हें राज्यपाल मंगवाएं, राज्यपाल को भिजवाएगा; और
- (ख) यदि राज्यपाल इस प्रकार अपेक्षा करते हैं, ऐसा विषय जिस पर किसी मन्त्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया है; परिषद् के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा।

ख-वित्त विभाग

31. ऐसे सभी प्रस्तावों पर जो राज्य के वित्त को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से —

(क) लोक सेवा में कोई पद जोड़ने या समाप्त करने अथवा किसी पद की परिलब्धियों में परिवर्तन के प्रस्तावों पर;

(ख) किसी पद या पदों के वर्ग अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के लिए कोई भत्ता या विशेष या वैयक्तिक वेतन मंजूर करने के प्रस्तावों पर ;

(ग) राजस्व के परित्याग या किसी ऐसे व्यय वाले प्रस्तावों पर जिनके लिए सम्बद्ध विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है;

आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग से परामर्श किया जाएगा।

32. वित्त विभाग के विचार ऐसे विभाग के स्थायी अभिलेख पर लाए जाएंगे जिससे मामला सम्बन्धित है, और मामले के भाग-रूप होंगे।

33. वित्त विभाग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे मामले विहित कर सकता है जिनमें उसकी सहमति दी गई समझी जाएगी।

34. (1) वित्त मन्त्री किसी भी ऐसे मामले में जिसमें नियम 7 या नियम 31 में निर्दिष्ट मामलों में से कोई मामला अन्तर्वलित है, कागज-पत्र मांग सकता है और ऐसा विभाग जिससे अनुरोध किया गया हो, कागज-पत्र देगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन मंगवाए गए कागज-पत्रों की प्राप्ति पर वित्त मन्त्री अनुरोध कर सकता है कि कागज-पत्र, उन पर उसके टिप्पण सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) वित्त विभाग सभी विभागों में, सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को विनियमित करने और वित्त विभाग के कार्य तथा वित्त विभाग के साथ अन्य विभागों के संव्यवहार को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

ग-विधि विभाग

35. इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय विधि विभाग, विधान के बारे में, सुत्रपात या प्रारम्भ करने वाला विभाग नहीं है और इसका उचित कार्य ऐसी विधान परियोजना को तकनीकी रूप देना है जिसकी नीति का अनुमोदन हो चुका है, और विधान का आरम्भ करने के प्रत्येक प्रस्ताव पर उस विभाग में, जिससे विधान की विषय-वस्तु

सम्बन्धित है, विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो उसी विभाग को अन्तरित किया जाएगा तथा विधान की आवश्यकता और विधेयक में सम्मिलित किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इन्हें नियम 5 के अधीन, ऐसे विभाग में निपटाया जाएगा।

36. विधान का आरम्भ करने का प्रस्ताव मामले के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटाया जाएगा :

परन्तु मामला मुख्य मंत्री को तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में सम्बद्ध विभाग ने विधि विभाग से परामर्श नहीं कर लिया है —

- (i) विधि विभाग की दृष्टि से प्रस्तावित विधान के लिए आवश्यकता ;
- (ii) प्रस्तावित अध्यापय (Measure) को अधिनियमित करने की राज्य विधान-मण्डल की क्षमता ;
- (iii) उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेने के सम्बन्ध में संविधान की अपेक्षाएं; और
- (iv) प्रस्तावित अध्यापय की संविधान के उपबन्धों के साथ अनुरूपता, और विशेष रूप से वे जो मूल अधिकारों से सम्बन्धित हैं।

37. ठीक पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट विषयों पर विधि विभाग की मन्त्रणा प्राप्त करने के पश्चात्, और यदि प्रस्तावित विधान में समेकित निधि से व्यय अन्तर्वलित है, तो वित्त विभाग के परामर्श से वित्तीय ज्ञापन तैयार करने के पश्चात् प्रस्ताव पूर्ण व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित इन नियमों के अनुसार मन्त्रि-परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा।

38. यदि विधान के लिए प्रस्ताव मन्त्रि परिषद् द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो मामला मन्त्रि-परिषद् के निर्णय तथा विधेयक का अन्तिम प्रारूप तैयार करने के प्रयोजन के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ विधि विभाग को भेजा जाएगा।

39. विधि विभाग विधेयक का अन्तिम प्रारूप तैयार करेगा और मामला सम्बद्ध विभाग को लौटा देगा।

40. प्रशासनिक विभाग, ऐसे अधिकारियों और निकायों से, जो आवश्यक समझे जाएं, परामर्श करने के पश्चात्, परामर्श लिए गए अधिकारियों या निकायों की मन्त्रणा सहित, यदि कोई हो, प्रारूप विधेयक मन्त्रि-परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

41. यदि मन्त्रिपरिषद् द्वारा, विधेयक पर संशोधनों के साथ या उनके बिना, कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया जाता है, तो प्रशासकीय विभाग मन्त्रि-परिषद् के अन्तिम

विनिश्चय सहित मामला विधि विभाग को भेजेगा और यह अनुरोध करेगा कि वह विधेयक का अन्तिम प्रारूप तैयार करे।

42. विधि विभाग इसके पश्चात् प्रारूप को अन्तिम रूप देगा और प्रारूप-विधेयक सूत्रपात करने वाले विभाग को, विधेयक के लिए अपेक्षित स्वीकृतियों, यदि कोई हों, उसी समय इंगित करते हुए भेजेगा। यदि राज्य की समेकित निधि से व्यय अन्तर्वलित करने वाले विधेयक में कोई उपबन्ध अन्तिम रूप प्रदान किए गए प्रारूप में उपान्तरित किए गए हैं, तो विभाग अन्तिम रूप प्रदान किए गए प्रारूप विधेयक को वित्त विभाग को वित्तीय ज्ञापन का, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण करने के लिए भेजेगा।

43. इसके पश्चात् सूत्रपात करने वाला विभाग, अन्तिम प्रारूप-विधेयक को उस पर सरकार के अनुदेशों सहित जिसमें विधान सभा में इसे पुरःस्थापित करने सम्बन्धी अनुदेश सम्मिलित हों, और विधेयक में अन्तर्निहित ऐसे कागज-पत्रों सहित, जो विधान सभा को संसूचित किए जाने चाहिए, राजनैतिक शाखास्थ मुख्य सचिव को अन्तरित करेगा।

44. नियम 35 में किसी बात के होते हुए भी औपचारिक स्वरूप की विद्यमान अधिनियमितियों और विधान को, जैसे निरसन और संशोधन करने वाले विधेयक, जो केवल संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए अभिकल्पित हों अध्यापयों का प्रारम्भ विधि विभाग में किया जा सकता है :

परन्तु विधि विभाग, प्रारूप विधेयक की एक प्रति उस विभाग को प्रशासनिक अध्यापय के रूप में विचार करने के लिए भेजेगा, जिससे विषयवस्तु सम्बद्ध है, और वह विभाग जिसको यह भेजा जाता है तत्काल ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझता है और उस पर अपनी मन्त्रणा ऐसे विषय पर उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक पत्रादि की प्रति सहित विधि विभाग को भेजेगा।

45. (1) जब भी राज्य विधान मण्डल का कोई प्राइवेट सदस्य अपने प्रस्ताव करने के इस आशय का नोटिस देता है कि उसे किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए तो विधि विभाग तत्काल विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण मुख्यमन्त्री तथा उस विभाग को, जिससे मामला सम्बन्धित है, सूचनार्थ भेजेगा।

(2) विधेयक पर विधि विभाग द्वारा प्रथमतः मामले के रूप में कार्यवाही की जाएगी जहां इस पर इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जैसे अध्यापय को अधिनियमित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता और राज्य विधान मण्डल की सक्षमता और फिर वह अपनी मन्त्रणा सहित उस विभाग को, अग्रेषित करेगा जिससे मामला संबंधित है।

(3) यदि ऐसे विधेयक के कोई उपबन्ध, राज्य की समेकित निधि से व्यय अन्तर्वलित करते हैं, तो सम्बद्ध विभाग, इसे परिचालित करने से पहले, वित्त विभाग के परामर्श से, विधायक के संबंध में वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा।

46. नियम 45 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, प्रवर समिति द्वारा सिफारिश किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों तथा ऐसे सभी संशोधनों पर भी लागू होंगे जिन पर उस विधान मण्डल में विधेयक के विचार के दौरान रखे जाने के लिए राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया है।

47. (1) जब कोई विधेयक विधान मण्डल द्वारा पारित हो जाता है, इसका सम्बद्ध विभाग तथा विधि विभाग में परीक्षण किया जाएगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सहित अग्रेषित किया जाएगा :—

(क) ऐसे कारणों के बारे में, यदि कोई हों, सम्बद्ध सचिव को एक रिपोर्ट कि राज्यपाल की अनुमति क्यों न दी जाए, और

(ख) ऐसे कारणों के बारे में, यदि कोई हों, विधि सचिव की एक रिपोर्ट कि राज्यपाल की अनुमति क्यों न दी जाए या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित क्यों न रखा जाए।

(2) जहां राज्यपाल निदेश दें कि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाए या विधानमण्डल को सन्देश सहित लौटा दिया जाए वहां उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही राज्यपाल के सचिव द्वारा सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के सचिव तथा विधि सचिव के परामर्श से की जाएगी।

(3) राज्यपाल या राष्ट्रपति की, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात्, विधि विभाग विधेयक को विधान मण्डल के अधिनियम के रूप में राजपत्र के प्रकाशन के लिए कदम उठाएगा।

*47-क. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969, की धारा 4-क के अधीन प्रकाशित किया जाने वाला हिन्दी अनुवाद विधि एवं विधायी विभाग के उप सचिव, प्रारूपकार, अवर सचिव या उप प्रारूपकार द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

*47-ख. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969, की धारा 4-ख के अधीन विधेयकों का हिन्दी अनुवाद विधि एवं विधायी विभाग के उप सचिव, प्रारूपकार, अवर सचिव या उप प्रारूपकार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

47-ग. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969, की धारा 4-क के खण्ड (घ) के अधीन हिन्दी में अनुवाद का प्रकाशन सचिव, हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

47-घ. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969, की धारा 4-क के अधीन हिन्दी अनुवाद को राजपत्र में सचिव, हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

48. जब कभी विधि विभाग से भिन्न, किसी विभाग में :—

- (i) कानूनी नियम, अधिसूचना या आदेश जारी करने ; अथवा
- (ii) किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किसी नियम, उप विधि, अधिसूचना या आदेश जारी करने को किसी कानूनी शक्ति के अधीन स्वीकृति देने ; या
- (iii) कोई प्रारूप कानूनी नियम, अधिसूचना या आदेश केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तुत करने, के लिए प्रस्ताव किया जाता है तब प्रारूप साधारणतः विधि विभाग को मन्त्रणा तथा पुनरीक्षण के लिए, जहां आवश्यक हो, निर्दिष्ट किया जाएगा।

49. (1) सभी प्रशासकीय विभाग निम्नलिखित पर विधि विभाग से परामर्श करेंगे—

- (क) कानूनों, अधिनियमों, विनियमों तथा कानूनी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अर्थन्वयन ;
- (ख) किसी मामले से उत्पन्न होने वाले कोई साधारण विधिक सिद्धान्त ; और
- (ग) किसी प्रशासकीय विभाग के अनुरोध पर अभियोजन का संस्थित किया जाना या वापस लिया जाना।

(2) ऐसे प्रत्येक निर्देश के साथ मामले के तथ्यों का सही कथन तथा वह/वे बिन्दु जिस पर/जिन पर विधि विभाग की मन्त्रणा अभीष्ट है, संलग्न होंगे।

भाग IV— अनुपूरक

50. सम्बद्ध सचिव, प्रत्येक मामले में, इन नियमों के ध्यानपूर्वक अनुपालन के लिए उत्तरदायी है और जब वह समझता है कि उनसे तात्त्विक रूप से विचलन हुआ है, तो वह विषय व्यक्तिगत रूप में भारसाधक मन्त्री तथा मुख्य सचिव के ध्यान में लायेगा।

*50-क. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, क्रमशः हरियाणा सरकार,

* क्रमांक 10/3-2 मंत्रिमण्डल-2000 दिनांक 19-6-2000 द्वारा नियम जोड़ा गया।

उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या 2/131/99-॥ बी (I), दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 और संख्या 49/123/99-4 बी-(i), दिनांक 17 नवम्बर, 1999 द्वारा, उद्योग नीति-1999 के अधीन यथा गठित आर्थिक विकास बोर्ड तथा प्रोत्साहनों के सीमा शुल्कीय विशेष पैकेज के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति के निर्णय, परिषद के निर्णय समझे जाएंगे। नियम 7 तथा 31 के अधीन वित्त विभाग के साथ परामर्श तथा सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा मामले की जांच करना आवश्यक नहीं होगा।

*50-ख. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, क्रमशः हरियाणा सरकार, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिसूचना संख्या 49/32/2000-॥ बी 1 (1), 12 मई, 2000 और संख्या 49/32/2000-॥ बी 1 (4), दिनांक 12 मई, 2000 द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अधीन गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति और उच्च शक्ति प्राप्त समिति के निर्णय, परिषद के निर्णय समझे जाएंगे। नियम 7 तथा 31 के अधीन वित्त विभाग के साथ परामर्श तथा सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा मामले की जांच करना आवश्यक नहीं होगा।

51. ये नियम ऐसी सीमा तक जहां तक आवश्यक हो, मुख्य मन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदेशों द्वारा अनुपूरित किए जा सकते हैं।

चण्डीगढ़, दिनांक
21 जून, 1977

जय सुखलाल हाथी,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़, दिनांक
21 जून, 1977

एस०डी० भाम्बरी,

मुख्य सचिव, हरियाणा।

* क्रमांक 10/3-2 मंत्रिमण्डल-2000 दिनांक 25-9-2000 द्वारा नियम जोड़ा गया।

अनुसूची

(देखिए नियम 5 तथा 11)

1. राज्य विधानमण्डल के सदन को बुलाने के प्रस्ताव।
2. निम्नलिखित की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के नेमी संशोधन से भिन्न, नियमों को बनाने के लिए प्रस्ताव या संशोधन अन्तर्वलित करने वाले प्रस्ताव—
 - (क) विधान सभा के सचिवालय-करमचारिवृन्द के लिए नियुक्त व्यक्ति [अनुच्छेद 187 (3)]
 - (ख) अनुच्छेद 229, खण्ड (1) तथा (2) के परन्तुकों के अधीन उच्च न्यायालय के अधिकारी तथा सेवक ;
 - (ग) राज्य सम्बन्धी लोक सेवा में तथा पदों पर नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 309 का परन्तुक)।
3. विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुपूरक, समाधिक या अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगें।
4. अनुच्छेद 234 के अधीन नियम बनाने या संशोधित करने के लिए प्रस्ताव।
5. अनुच्छेद 237 के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव।
6. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पदच्युत करने, हटाने या निलम्बित करने के लिए किसी कार्रवाई को अन्तर्वलित करने का कोई प्रस्ताव।
7. अनुच्छेद 318 या 320 के खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन विनियम बनाने या संशोधित करने के लिए प्रस्ताव।
8. लोक सेवा आयोग की उसके कार्य पर रिपोर्ट (अनुच्छेद 323) (2) तथा उस कार्य के प्रति निर्देश से की जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्रवाई।
9. विधान के लिए प्रस्ताव जिसमें संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश जारी करना सम्मिलित है।
10. कोई नया कर लगाने, या किसी विद्यमान कर या भू-राजस्व या सिंचाई उपशुल्कों की निर्धारण रीति या सीमा में कोई परिवर्तन करने अथवा राज्य के राजस्वों की प्रतिभूति पर ऋण लेने के लिए, या राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने के लिए प्रस्ताव।

11. कोई ऐसा प्रस्ताव जो राज्य के वित्त को प्रभावित करता है जिस पर वित्त मन्त्री की सम्मति नहीं है।

12. पुनर्विनियोग के लिए कोई प्रस्ताव जिस पर वित्त मन्त्री की सम्मति अपेक्षित है और उसे रोक लिया गया है।

13. *7,00,000/- रुपए मूल्य से अधिक सरकारी सम्पत्ति का अस्थायी अथवा स्थायी, अन्य संक्रामण या विक्रय, अनुदान या पट्टे के या उस राशि से अधिक राजस्व के परित्याग या कमी के प्रस्ताव, सिवाय उस दशा के जब सरकारी सम्पत्ति का ऐसा अन्य संक्रामण, विक्रय, अनुदान या पट्टा अथवा राजस्व का परित्याग या कमी नियमों के अनुसार है अथवा परिषद् द्वारा पहले से अनुमोदित साधारण स्कीम के अनुसार है।

14. राज्य के वित्त के वार्षिक लेखा परीक्षा-पुनर्विलोकन और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट।

15. नीति या प्रथा के किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को अन्तर्वलित करने वाले प्रस्ताव।

16. *छह मास से अधिक की अवधि के लिए किसी सरकारी पद के सृजन या समाप्ति के प्रस्ताव, जिसका पारिश्रमिक 18,400-22,400 रुपये तथा इससे अधिक है, सिवाय उन पदों के जिन पर भा०प्र०से० या भा०पु०से० या भा०व०से० के अधिकारियों ने काम करना है।

17. राज्य सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों में या ऐसी सेवा या ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, की भर्ती की रीति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को अन्तर्वलित करने वाले प्रस्ताव।

18. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त जांच समितियों की रिपोर्ट।

19. लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से असंगत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव।

20. राज्यपाल या मुख्य मन्त्री द्वारा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित मामले।

* क्रमांक 10/4-2 कैबिनेट-98 दिनांक 4-9-2001 द्वारा संशोधन किया गया।